



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012022-232660
CG-DL-E-15012022-232660

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185]
No. 185]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 14, 2022/पौष 24, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 14, 2022/PAUSHA 24, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2022

का.आ. 189(अ).—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीकाकुलम जिला में श्रीकाकुलम से अंगुल पाइपलाइन (एसएपीएल) परियोजना के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और कि ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि के उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय कि घोषणा करती है;

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दिए जाने की तारीख से 21 (इक्कीस) दिनों के भीतर, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन या भूमि में पाइपलाइन बिछाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से सक्षम प्रधीकारी, गेल (इंडिया) लिमिटेड, के.जी. बेसिन परियोजना, होटल सनराइज, अरसावल्ली रोड जंक्शन, श्रीकाकुलम - 532001, आंध्र प्रदेश को कर सकेगा.

श्रीकाकुलम -अंगुल पाइपलाइन (एसएपीएल) परियोजना					
भूमि अनुसूची					
जिला-श्रीकाकुलम		राज्य : आंध्र प्रदेश			
मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं०	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आरे	वर्ग मीटर
तेक्कलि	तेलिनीलापुरम	77/4D	00	1	35
		77/4B	00	3	7
		77/3	00	5	59
		77/1	00	4	54
		76/3	00	2	89
		76/2	00	5	94
		76/1C	00	3	36
		74/3	00	3	6
		74/2	00	4	38
		74/1	00	5	77
		73/13	00	1	5
		73/5	00	0	17
		73/14A	00	3	13
		73/4A	00	4	23
		73/1	00	0	20
		73/3	00	9	0
		72/10	00	2	91
		72/9	00	0	1
		72/11	00	5	7
		72/8	00	4	84
		72/6	00	1	97
		72/7	00	1	70
		72/1	00	5	93
		98/12	00	1	7
		68/11	00	4	14
		69/6	00	0	30
		69/4	00	2	81
		69/3	00	3	70
		69/2	00	4	19
		69/1B	00	3	40

69/1A	00	6	52
67/6	00	1	66
67/7	00	2	37
67/1	00	10	84
84/2	00	0	13
84/1	00	0	49
66/6	00	4	58
66/5	00	3	28
66/4	00	3	63
66/3	00	4	83
66/2	00	4	22
66/1	00	5	13
64/2	00	5	13
85/5	00	0	74
85/3	00	5	70
85/2	00	5	60
85/1	00	3	22

[फा.सं.एल-14014-211-2021-जीपी-II) (ई-40965)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd January, 2022

S.O. 189(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Natural Gas from **SRIKAKULAM ANGUL PIPELINE (SAPL)PROJECT** in Srikakulam District in Andhra Pradesh state, a pipeline should be laid by the GAIL (India) Ltd.,

AND whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed to this Notification.

NOW, Therefore, in exercise of the powers conferred by Sub Section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein.

Any Person interested in the land described in the said Schedule may within 21 days from the date on which the copies of this Notification, as published in the Gazette of India, are made available to the General Public object in writing to the acquisition of the Right of User therein or laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, GAIL (India) Ltd., Srikakulam-Angul Pipeline Project, Hotel Sunrise, Arasavalli road junction, Srikakulam-532001, Andhra Pradesh.

SRIKAKULAM – ANGUL PIPELINE (SAPL) PROJECT					
LAND SCHEDULE					
District-Srikakulam		State : Andhra Pradesh			
Name of Mandal	Name of Village	Survey no.	Area		
			Hector	Are.	Sq.mtr.
Tekkali	Telineelapuram	77/4D	00	1	35
		77/4B	00	3	7
		77/3	00	5	59
		77/1	00	4	54
		76/3	00	2	89
		76/2	00	5	94
		76/1C	00	3	36
		74/3	00	3	6
		74/2	00	4	38
		74/1	00	5	77
		73/13	00	1	5
		73/5	00	0	17
		73/14A	00	3	13
		73/4A	00	4	23
		73/1	00	0	20
		73/3	00	9	0
		72/10	00	2	91
		72/9	00	0	1
		72/11	00	5	7
		72/8	00	4	84
		72/6	00	1	97
		72/7	00	1	70
		72/1	00	5	93
		98/12	00	1	7
		68/11	00	4	14
		69/6	00	0	30
		69/4	00	2	81
		69/3	00	3	70
		69/2	00	4	19
		69/1B	00	3	40
		69/1A	00	6	52
		67/6	00	1	66
		67/7	00	2	37
		67/1	00	10	84
		84/2	00	0	13
		84/1	00	0	49

66/6	00	4	58
66/5	00	3	28
66/4	00	3	63
66/3	00	4	83
66/2	00	4	22
66/1	00	5	13
64/2	00	5	13
85/5	00	0	74
85/3	00	5	70
85/2	00	5	60
85/1	00	3	22

[F. No. L-14014-211-2021-GP-II) (E-40965)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.